लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर,भोपाल–462023
दूरभाष–91–0755–2583650
फैक्स–91–0755–2583651 ई–मेलः dpividhya@gmail.com

क्रमांक/अकादमिक/सी/ /2022/2687 भोपाल,दिनांक 29.11.2022

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्य प्रदेश।

विषयः–दिनांक 19 से 24 दिसम्बर, 2022 के दौरान ''वीर बाल दिवस'' मनाये जाने के संबंध में।

संदर्भः–1– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा का पत्र क्रमांक 5008 दिनांक 16.11.2022
2– सुश्री नीलू सिंह ज्ञानी, निदेशक पंजाबी साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद्,संस्कृति विभाग का पत्र क्रमांक 31/09.11.2022।

––00––

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 9 जनवरी, 2022 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

''जहॉ भारत के लोग, ''आजादी का अमृत महोत्सव'' मनाते हुए, दसवें सिख गुरू गोविन्द्र सिंह जी के छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के कमशः 9 और 6 साल की छोटी उम्र में सिख पंथ की गरिमा और सम्मान की रक्षा हेतु 26 दिसम्बर, 1705 को दिए गऐ उनके सर्वोच्च और अप्रतिम बलिदान के लिए सलाम करते है।

और जहॉ भारत सरकार ने साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में 26 दिसम्बर को ''वीर बाल दिवस'' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।''

चूंकि दिनांक 25 दिसम्बर से प्रदेश की शालाओं में शीतकालीन अवकाश है, अतः प्रदेश की सभी शालाओं में दिनांक 19 से 24 दिसम्बर, 2022 की अवधि में किसी एक दिन वीर बाल दिवस मनाया जाए। इस दिवस प्रार्थना सभा में श्री गुरूगोविन्द सिंह जी के छोटे पुत्रों द्वारा दिए गए बलिदान के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी दी जाए, इस हेतु स्थानीय स्तर पर इस विषय के जानकार व्यक्तियों को विद्यार्थियों को सम्बोधित करने हेतु भी आमंत्रित किया जा सकता है। संस्कृति विभाग अंतर्गत पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा भी इस हेतु आवश्यक सहयोग देने हेतु लेख किया गया है। कृपया तदनुसार कार्यवाही कर संकलित प्रतिवेदन कार्यालय के ई–मेल आई.डी. में प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें। विषयांतर्गत संदर्भित पत्र एवं संलग्नक छायाप्रति का अवलोकन करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(अभय वर्मा)
आयुक्त
लोक शिक्षण,म.प्र.

पृ. क्रमांक/अकादमिक/सी/ /2022/2688 भोपाल,दिनांक 29.11.2022

प्रतिलिपिः–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,राज्यमंत्री,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सुश्री नीलू सिंह ज्ञानी, निदेशक पंजाबी साहित्य अकादमी, बाणगंगा चौराहा, भोपाल।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण संभाग,मध्यप्रदेश
4. समस्त ए.डी.पी.सी./जिला परियोजना समन्वयक की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
लोक शिक्षण,म.प्र.